तामीलमेंज

15/5/18		पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प नानपुर में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान
नि. केलजी		मौके पर उपस्थित है। विवादित
नि. सोमती		आराजी से सम्बन्धित बाद पत्र, न.9. प्रा.पत्र एवं 128 LRAct
नि. घोघी		प्रकरण प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत करने पर विडो किये जा
नि. धन्ती		चुके है। प्रकरण में TDR द्वारा शीघ्र गठित कर विवादित आराजी
3। म क्र ।ना2		का सीमांकन। पत्थर गढ़ी कराई
मुन्शी		जा रही है। प्रार्थी इन कार्यवाही से सन्तुष्ट है। अतः प्रा. पत्र 136 LRAct स्वीकृत किया जाता है पत्रावली अमल दरामद होकर नम्बर से कम हो। [signature]
		पुनश्च पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में नक्शा शीट में तरमीम दुरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है, सहवन से अन्य प्रकरण की कार्यवाही आदेशिका में दर्ज हो गई है, अतः आदेशिका अब दुरस्त की जाती है।
		तहसीलदार अपोरय (लैण्ड होल्डर) ने

नम्बर व अहकामजा की तामीलमेंजारीहुए	कौलमी काम मुन्शी	अहकामजाइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम भेरापुरा की नक्शा शीट में विवादित खसरा नम्बरान की जो तरमीम की हुई है, वह जमाबन्दी में दर्ज रकबे से मेल नही खाती है एवं नक्शे में की हुई तरमीम की रकबा जरी करने पर रकबा सही नही बैठता है, इसलिए नक्शा शीट में की हुयी तरमीम खारिज करने योग्य है।	
	पत्रावली एवं तहसीलदार सपोटरा के जबाव का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है, किन्तु नक्शा शीट में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम सही नही है, जिसे दुरस्त कराने का प्रार्थीगण का अधिकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।	
	अतः प्र. पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम भेरापुरा के आ.ख.न. 245/22 रकबा 10 बीघा, ख.न. 245/4 रकबा 15 बीघा, ख.न. 245/3 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा की गलत तरमीम को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सपोटरा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भेरापुरा तह. सपोटरा के नक्शा शीट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व अहकामजो की तामीलमेंज
	में उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम मुताबिक राजस्व रिकार्ड एंव मोका अनुसार की जावे। निर्णय सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। Riy	